


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मोप्र० ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

क्रमांक 1074-III-15

ग्रामीण उपराज्यकार्य
दृष्टि देश | 22-4-15
भूतानी बाप के
राजस्व मण्डल ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा



बिलोपित

कविता सिंह पत्नी विनय सिंह, उम्र 35 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम बड़खड़ा, थाना एवं
तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. सुखलाल पिता शिवनाथ केवट,
2. नर्मदा पिता परमेश्वरदीन केवट,
3. बालमीक पिता परमेश्वरदीन केवट,
4. सावित्री पत्नी विश्वनाथ केवट,
5. लाल बहादुर पिता विश्वनाथ केवट,
6. शेर बहादुर पिता विश्वनाथ केवट,
7. मन्जू पिता विश्वनाथ केवट,
8. ममता पिता विश्वनाथ केवट,
9. रियामना पिता विश्वनाथ केवट,
10. नामना पिता विश्वनाथ केवट,
11. अंचल पिता विश्वनाथ केवट,

गैर निगरानीकर्ता क्र. 8 ता 11 नाबालिग जरिये वली संरक्षिका मां गैर
निगरानीकर्ता क्र. 4 सावित्री केवट,

राजस्व मण्डल ग्वालियर निवासी ग्राम सरा, तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

12. अन्जू पिता विश्वनाथ केवट, पत्नी आशीष केवट, निवासी ग्राम थनवहा टोला,
गोपालदास मंदिर के पास, जिला सीधी, (म.प्र.)
13. दिनेश पिता शिवनाथ केवट, उम्र 38 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम चुरहट,
जिला सीधी, (म.प्र.)

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1004-तीर्त 15... जिला ग्वालियर

कार्यवाही कार्यालय / दुर्बलालंक विभाग

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	<p>1- प्रकारा ओदेश हेतु लिपा गया।</p> <p>2- प्रकारा में ओवेट आभिमाषक नी बड़ी स्थिति को समझा में दिनांक 15.12.15 को दुनांग घण्टा प्रकारा का अस्तीक्ष्ण किया।</p> <p>3- प्रकारा का लोकित विवर इस प्रकार है कि ओवेट अपर कामिनार दीक्षा समाज चीक का प्रकारा दिनांक 08/अगस्त/11-12 में पारित ओदेश दिनांक 9.12.14 के विष्वद्वय प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>4- ओवेट आधिकार ने अपने तब में बताया है कि निगरानी कार्यालय दीक्षा दिनांक 13.14 तक रोकेश के वट से गाम सरा, तहसील-चुरहट, दिला-लीची (म.प्र) की ग्राम रसरा दुपांक 45 का अंश रफवा 0.040 हेंड्रप किया था। जिस पर गैर किया गया कर्तव्यांक-1 दुर्बलालंक आयत्ति किये जाने के कारण प्रकारा गमाहारा हेतु तहसील दार चुरहट के समझ प्रस्तुत किया गया तहसील दार वारा गमाहारा जारी प्रकारा दिनांक 22/3.6/09-10 ओदेश दिनांक 15.4.10 ज्ञानसंख्या किया गया। अनुबृति समिति आधिकारी तहसील-चुरहट, दिला-लीची (म.प्र) अपने प्रकारा दिनांक 205/अग्नि/09-10 ओदेश दिनांक 30-8-11 द्वारा पर्यावरत रखा गया। अपर कामिनार दीक्षा समाज, दीक्षा अपने ओदेश दिनांक 9.12.14 द्वारा 303.अव.</p> <p>का अधिकारित छिपा गया। यह देखे विष्वद्वय पर्यावरत भी गति है। ओवेट आभिमाषक वारा आगे कहा कि अपर कामिनार दीक्षा समाज के</p>	

[कृ. प. ३.]

जिला सोधा, (म.क.)

का 19 दिसंबर 2016

R. 10061/III/15-

लिखा

स्थान तथा दिनांक

गोवा/५६

कार्यवाही तथा आदेश लिखितात्मक

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्ष्य

आदेश दिनांक ९.१२.१५ के उपरांत गोविल को
द्वारा आदेश दिनांक ४.५.१५ पारित किया गया
है। यह स्वेच्छा प्रकाश में आगे कार्यवाही हेतु विवेदन
किया गया।

५- उद्दरोक्त गोविल कोटि के आदेश के
भए प्राप्ति इन रीत समाज, रीवा के प्रभाग इष्ट
मिशन के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है। यह
खी के अपेक्षा व्यापारिय का प्रकाश पुनर्बोलने
तथा रसीफिल कोटि के आदेश दिनांक ४.५.१५ के
प्रकाश में पुनः नये स्तर से प्रकाश में आदेश पारित
की गई। यह आदेश/व्यवस्था के हीन साहै के अन्य
पक्षकारों को बुनवारी का अवश्यकता हो जाय
पारित की गई। अतिस आदेश पारित हीन हक
अपराधिगत रीत समाज शीर्ष का आदेश दिनांक
९.१२.१५ प्राव दीन रहेगा।

६. आदेश की प्राही पातनार्थ भेजी गयी तथा
प्रकाश पंजी से समाप्त होकर रहा है।

(आधीन शीर्षात्मक)

लिखा
राज्य मण्डल मध्यप्रदेश.